

संख्या-20011/02/2016-हिन्दी

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

एनडीसीसी-॥ भवन, जय सिंह रोड,
नई दिल्ली-110001,
दिनांक: 11 दिसम्बर, 2019

सेवा में,

गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन समस्त संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय
(संलग्न सूची के अनुसार)।

**विषय: केन्द्रीय राजभाषा समिति की 41 वीं बैठक के कार्यवृत्त में उल्लिखित राजभाषा
संबंधी बिंदुओं का अनुपालन।**

महोदय/महोदया,

राजभाषा विभाग की सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 11 अक्टूबर, 2019 से केन्द्रीय राजभाषा समिति की 41 वीं बैठक का आयोजन किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ की गई चर्चा और लिए गए निर्णयों के अनुसार समस्त कार्यालयों से निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष रूप से कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई है:-

1. सरकारी कामकाज में कठिन हिंदी की बजाय सरल हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग पर बल दिया जाना चाहिए।
2. समस्त कार्यालयों को राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए।
3. सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
4. सभी कार्यालयों को अपनी ऑनलाइन तिमाही प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय-सीमा अर्थात् 30 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र सहित भेजना सुनिश्चित करना चाहिए।

5. समस्त कार्यालयों की वेबसाइट पूर्णतः द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाई जानी चाहिए और इसे डिफाल्ट रूप में हिंदी में खुलना चाहिए।
 6. हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए और इनमें लगभग आधा समय अभ्यास के लिए होना चाहिए।
 7. हिंदी भाषा/टंकण/आशुलिपि में अप्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों को यथाशीघ्र प्रशिक्षण के लिए नामित किया जाना चाहिए।
 8. सभी कम्प्यूटरों में द्विभाषी कार्य करने की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए तथा कार्मिकों को इन पर हिंदी में कार्य भी करना चाहिए।
 9. 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों से हिंदी में पत्राचार के साथ-साथ कार्यालय में हिंदी टिप्पण निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप होना चाहिए।
2. आपसे अनुरोध है कि अपने मुख्यालय के साथ-साथ इसे अपने अधीनस्थ कार्यालयों में परिचालित करते हुए उपर्युक्त बिंदुओं पर सम्यक् कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं और इस संबंध में अद्यतन प्रगति से इस मंत्रालय को अविलंब अवगत करवाएं।

भवदीय,



(राकेश कुमार)

संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

दूरभाष: 23438192

ई-मेल: dir_ol@nic.in

प्रतिलिपि:

1. गृह मंत्रालय के समस्त अधिकारियों/प्रभागों/अनुभागों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित वे कृपया उपर्युक्त में से स्वयं पर लागू बिन्दुओं पर कार्रवाई करते हुए राजभाषा हिन्दी के समुचित कार्यान्वयन में योगदान दें।
2. एनआईसी (कृपया इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें)।